अनुदान मांग 2023-24 का विश्लेषण

गृह मामले

गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीमा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, जनगणना और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को आदेश देता है कि वह आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य सरकार की रक्षा करे।[1] गृह मंत्रालय को सुरक्षा की बहाली के लिए राज्य सरकारों को जनशक्ति, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और विशेषज्ञता प्रदान करने का अधिकार है।[2] इसके अलावा मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को कुछ अनुदान देता है, क्योंकि वे हस्तांतरणों पर वित्त आयोग के सुझावों के दायरे में नहीं आते हैं और इस प्रकार, उन्हें केंद्रीय करों में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता।

इस नोट में 2023-24 के लिए गृह मंत्रालय के व्यय की प्रवृत्तियों और बजट प्रस्तावों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही मंत्रालय के दायरे में आने वाले क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

वित्तीय स्थिति

2023-24 में गृह मंत्रालय को 1,96,035 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान (1,93,912 करोड़ रुपए) से 1.1% अधिक है। 2023 में केंद्र सरकार के कुल व्यय बजट का 4.4% हिस्सा मंत्रालय को प्राप्त हुआ है और सभी मंत्रालयों में यह पांचवां सबसे बड़ा आवंटन है।

रेखाचित्र 1 में 2012 और 2024 के बीच मंत्रालय के व्यय को दर्शाया गया है। 2019 के बाद से मंत्रालय के व्यय में जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों के अनुदान भी शामिल हैं। पिछले 10 वर्षों में व्यय में औसत वार्षिक वृद्धि दर 43% रही है।

रेखाचित्र 1: गृह मंत्रालय का व्यय (2012-24) (करोड़ रुपए में)

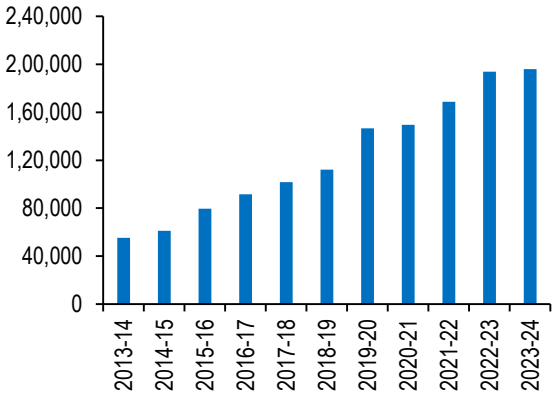

नोट: 2022-23 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं और 2023-24 के बजट अनुमान हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2014-15 से 2023-24; पीआरएस।

रेखाचित्र 2 में 2012-13 और 2022-23 के बीच मंत्रालय को आवंटित धनराशि के उपयोग का प्रतिशत दर्शाया गया है। 2021-22 में मंत्रालय का व्यय बजटीय अनुमान से लगभग 50% अधिक था। मंत्रालय का व्यय 2015-16 से सभी वर्षों में बजटीय व्यय से अधिक रहा है। अपवाद 2020-21 था, जब वास्तविक व्यय आवंटन से 16% कम था। ऐसा कोविड-19 महामारी की शुरुआत और व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण हुआ था।[3]

रेखाचित्र 2: बजट अनुमान बनाम वास्तविक व्यय (2013-23) (करोड़ रुपए में)

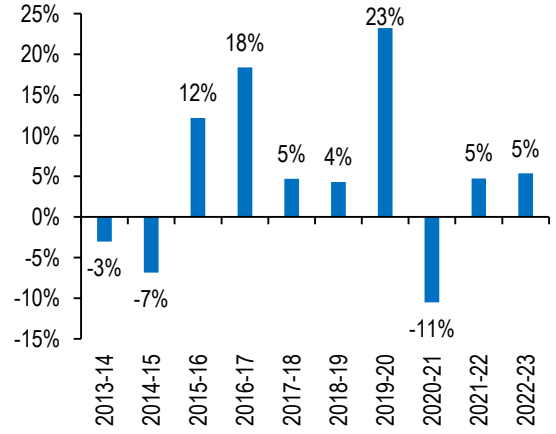

नोट: 2022-23 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2013-14 से 2023-24; पीआरएस।

अलाया पूरेवाल
alaya@prsindia.org

20 फरवरी, 2023

2023-24 के लिए मंत्रालय के कुल बजट में (i) 63% व्यय पुलिस, (ii) 32% केंद्र शासित प्रदेशों के अनुदान, और (iii) 5% विविध मदों जैसे आपदा प्रबंधन, शरणार्थियों और प्रवासियों के पुनर्वास, और जनगणना के आयोजन हेतु है। तालिका 1 में इन तीन शीर्षों के आवंटन को दर्शाया गया है।

तालिका 1: गृह मंत्रालय के बजट अनुमान (2023-24) (करोड़ रुपए में)

प्रमुख मद	2021-22 वास्तविक	2022-23 संशोधित	2023-24 बजटीय	परिवर्तन का % (बअ 2023-24/ संअ 2022-23)
पुलिस	1,06,622	1,19,070	1,27,757	7%
यूटी	56,490	69,040	61,118	-11%
अन्य	5,679	5,802	7,160	23%
कुल	**1,68,791**	**1,93,912**	**1,96,035**	1.1%

नोट: बअ- बजट अनुमान, संअ - संशोधित अनुमान। अन्य के तहत व्यय में आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक मामले शामिल हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2023-24, पीआरएस।

पुलिस: पुलिस पर व्यय में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस के लिए आवंटन शामिल है। 2023-24 में पुलिस के लिए 1,27,757 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 7% अधिक है।

यूटी को अनुदान और ऋण: 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए अनुदान और ऋण के तौर पर 61,118 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह 2021-22 के संशोधित अनुमान (69,040 करोड़ रुपए) से 11% कम है। आवंटन में कमी काफी हद तक जम्मू एवं कश्मीर के आवंटन में 20% की कमी के कारण है। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख (दोनों का गठन 2019 में जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व राज्य के पुनर्गठन के बाद हुआ) के लिए आवंटन सभी केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित कुल राशि का 68% है।

अन्य मदें: मंत्रालय की अन्य व्यय मदों में आपदा प्रबंधन, शरणार्थियों और प्रवासियों का पुनर्वास और प्रशासनिक मामले शामिल हैं। 2023-24 में इन मदों के लिए 7,160 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान (5,802 करोड़ रुपए) से 23% अधिक है। ऐसा जनगणना और भारतीय महापंजीयक कार्यालय के आवंटन में वृद्धि के कारण हुआ है। 2021-22 में यह 520 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान चरण में) था, जोकि 2023-24 में बढ़ाकर 1,565 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

मुख्य क्षेत्रों में व्यय का विश्लेषण

पुलिस

2023-24 में पुलिस पर व्यय के लिए 1,27,757 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें विभिन्न पुलिस संगठनों के आवंटन शामिल हैं, जैसे: (i) सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, (ii) दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बहाली के लिए जिम्मेदार है, और (iii) इंटेलिजेंस ब्यूरो, जोकि घरेलू खुफिया जानकारी को जमा करने वाली नोडल एजेंसी है। पुलिस के आधुनिकीकरण और देश की सीमाओं पर अवसंरचना के लिए भी धन आवंटित किया जाता है।

तालिका 2: पुलिस के तहत व्यय की मदें (करोड़ रुपए में)

	2020-21 वास्तविक	2022-23 संअ	2023-24 बअ	% परिवर्तन*
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल	81,235	90,870	94,665	4%
दिल्ली पुलिस	11,131	11,618	11,662	0%
पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर	2,839	2,188	3,637	66%
इंटेलिजेंस ब्यूरो	2,569	3,022	3,418	13%
पुलिस का आधुनिकीकरण	3,307	2,432	3,750	54%
सीमा अवसंरचना	2,662	3,739	3,545	-5%
अन्य**	2,879	5,201	7,080	36%
कुल	**106,622**	**119,070**	**127,757**	**7%**

नोट: *% परिवर्तन 2023-24 बअ/ 2022-23संअ में परिवर्तन को दर्शाता है **इसमें महिलाओं की सुरक्षा और भारतीय भूबंदरगाह प्राधिकरण जैसी योजनाएं शामिल हैं।
बअ- बजट अनुमान, संअ - संशोधित अनुमान।
स्रोतः गृह मामले की अनुदान मांग 2023-24; पीआरएस।

2023-24 में पुलिस के लिए कुल बजट में 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7% की वृद्धि

हुई है। पिछले 10 वर्षों (2014-24) में पुलिस पर खर्च 11% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है।

रेखाचित्र 3: पुलिस पर व्यय (2014-24) (करोड़ रुपए में)

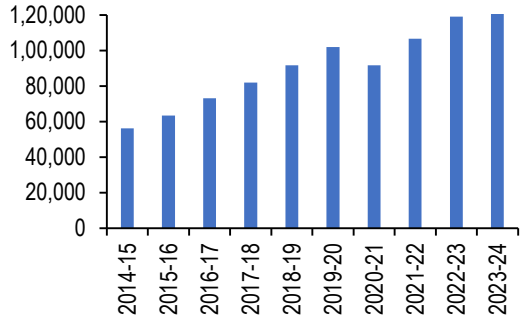

नोट: 2022-23 के लिए प्रयुक्त संशोधित अनुमान और 2023-24 के बजट अनुमान। वास्तविक अन्य सभी वर्षों के लिए उपयोग किया जाता है।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2015-16 से 2023-24; पीआरएस।

रेखाचित्र 4 बताता है कि 2013-23 से पुलिस के लिए बजट में आवंटित राशि का कितना उपयोग किया गया है। 2015-16 से पुलिस पर वास्तविक व्यय बजट अनुमान से अधिक रहा है, 2020-21 को छोड़कर, जब खर्च बजट से 13% कम था।

रेखाचित्र 4: बजट अनुमान बनाम पुलिस पर वास्तविक व्यय (2012-22) (करोड़ रुपए में)

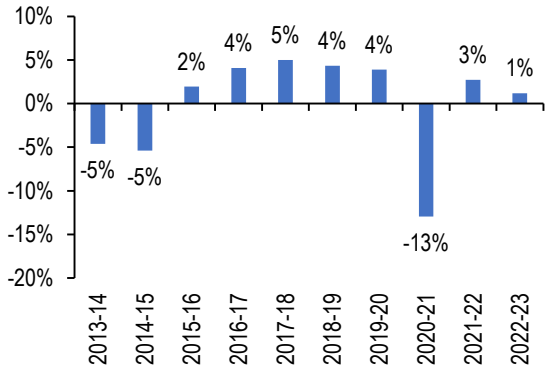

नोट: 2022-23 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2013-14 से 2023-24; पीआरएस।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में सात बल शामिल हैं: (i) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) जो आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सहायता करता है, (ii) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों (जैसे कि हवाई अड्डों) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सुरक्षा करता है, (iii) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) जो एक विशेष आतंकवाद-रोधी बल है, और (iv) चार सीमा रक्षक बल, अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), और असम राइफल्स (एआर)। हालांकि एआर गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है, लेकिन इसका परिचालनगत नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है।[4] एआर, आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल हैं (अनुलग्नक में तालिका 13 देखें)।

सीएपीएफ को 2023-24 में 94,665 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह पुलिस पर होने वाले खर्च का 74% है, और 2022-23 के संशोधित अनुमान (90,870 करोड़ रुपए) से 4% अधिक है। इसमें से सबसे अधिक व्यय सीआरपीएफ के लिए है, जिसे सीएपीएफ के लिए कुल आवंटन का 34% (31,772 करोड़ रुपए) प्राप्त होगा, इसके बाद बीएसएफ को आवंटन का 26% (24,771 करोड़ रुपए) प्राप्त होगा।

2023-24 में सीएपीएफ पर कुल खर्च में से केवल 2% पूंजीगत व्यय पर है, जबकि शेष 98% राजस्व व्यय पर है। यह पिछले 10 वर्षों की औसत प्रवृत्ति रही है, जिसमें पूंजीगत व्यय हर साल 1% से 2% के बीच रहता है। पूंजीगत व्यय में मशीनरी, उपकरण और वाहनों की खरीद पर खर्च शामिल हैं। राजस्व व्यय में वेतन, हथियार और गोला-बारूद तथा कपड़े शामिल हैं। उल्लेखनीय कि पूंजीगत घटक में निर्माण के लिए धन शामिल नहीं है।

रिक्तियां

जनवरी 2023 तक कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के मुकाबले सीएपीएफ और एआर में 9% रिक्तियां हैं।[5] 1 जनवरी, 2021 तक एसएसबी में 23% रिक्तियां दर्ज की गई थीं (तालिका 3 देखें)।[6]

गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2018) ने कहा था कि भविष्य की रिक्तियों के अनुमान में कमी थी, जिससे भर्तियों में देरी हुई। कमिटी ने सुझाव दिया था कि मंत्रालय समय पर कर्मियों की भर्ती के लिए सक्रिय रूप से रिक्तियों को चिन्हित और उनका मूल्यांकन करे।[7] मंत्रालय ने सीएपीएफ और एआर में कांस्टेबल/राइफलमैन के पदों पर भर्ती में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित करने का निर्णय लिया है।[8] इसके अलावा, अधिकतम

आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट का प्रावधान किया गया है।

तालिका 3: 01.01.2021 को सीएपीएफ में रिक्तियां

सीएपीएफ	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्तियों का %
सीआरपीएफ	3,24,723	2,96,393	10%
बीएसएफ	2,65,173	2,36,158	12%
सीआईएसएफ	1,63,313	1,39,192	17%
एसएसबी	97,244	78,809	23%
आईटीबीपी	88,439	82,930	7%
एआर	66,411	58,121	14%
एनएसजी	10,844	9,369	16%
कुल	**1,016,695**	**901,310**	**11%**

नोट: सीआरपीएफ- केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, बीएसएफ- सीमा सुरक्षा बल, सीआईएसएफ- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, एसएसबी- सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, एआर- असम राइफल्स और एनएसजी- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हैं।
स्रोत: 1 जनवरी, 2022 को पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो; पीआरएस।

जनवरी 2016 में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में कॉन्स्टेबल स्तर पर 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बलों में लगभग 14-15% कांस्टेबल पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे।[9] हालांकि जनवरी 2023 तक सीएपीएफ में महिला कर्मियों की कुल संख्या कुल स्वीकृत संख्या के मुकाबले 3.8% थी।[10] गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने मंत्रालय को सुझाव दिया था कि वह सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक भर्ती अभियान चलाकर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए।[12] इसके अलावा कमिटी ने सीमा चौकियों में अलग व्यवस्था की बात भी कही थी ताकि महिलाओं को भर्तियों के प्रति आकर्षित किया जा सके। इसलिए सीएपीएफ में महिला प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए सीमा आउटपुट और आवास अवसंरचना में निवेश की आवश्यकता होगी। तालिका 4 में सीएपीएफ में महिलाओं की रिक्तियों का विवरण दिया गया है।

तालिका 4: सीएपीएफ में महिलाएं

बल	स्वीकृत संख्या	महिला कर्मियों की संख्या	कुल संख्या का %
सीआरपीएफ	2,96,393	9,454	3.2%
बीएसएफ	2,36,158	7,391	3.1%
सीआईएसएफ	1,39,192	9,320	6.7%
आईटीबीपी	82,930	2,518	3.0%
एसएसबी	78,809	3,610	4.6%
एआर	58,121	1,858	3.2%
कुल	**8,91,603**	**34,151**	**3.8%**

नोट: सीआरपीएफ- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल; बीएसएफ - सीमा सुरक्षा बल; सीआईएसएफ- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल; एआर - असम राइफल्स; आईटीबीपी - भारत-तिब्बत पुलिस बल; एसएसबी - सशस्त्र सीमा बल; एनएसजी - राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 1698, राज्यसभा, गृह मंत्रालय, 2 अगस्त, 2022; पीआरएस।

रहन-सहन की स्थितियां

गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने गौर किया कि जम्मू एवं कश्मीर में सीआरपीएफ के कुछ शिविर किराए के आवास से काम कर रहे थे। यह पाया गया कि आवास की समस्या आवास सुविधाओं की कमी और भूमि की उपलब्धता की कमी के कारण थी।[11] इसके अलावा कमिटी ने कहा कि रहन-सहन की स्थिति अनुकूल नहीं थी और इस समस्या को तत्काल सुलझाने की जरूरत थी। फरवरी 2022 तक अधिकृत आवासीय इकाइयों के मुकाबले सीएपीएफ में संतोषजनक आवास का स्तर 47% था।[11] इस पर मंत्रालय ने जवाब दिया और कहा कि किराए के मकान में चल रहे सीआरपीएफ शिविरों की स्थिति की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।[12]

मार्च 2021 तक सीएपीएफ के लिए निर्माणाधीन 23,456 घरों में से लगभग 17% अप्रैल 2022 तक पूरा हो गए थे।[12] 2023-24 में सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस संगठनों के लिए परियोजनाओं के निर्माण के लिए 3,367 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 2019-20 से परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन का कम उपयोग किया गया है। 2020-21 में निर्माण परियोजनाओं पर वास्तविक व्यय (2,459 करोड़ रुपए) बजटीय अनुमान (3,306 करोड़ रुपए) से 26% कम था।

रेखाचित्र 5: सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस संगठन के लिए परियोजनाओं के निर्माण के लिए धनराशि का उपयोग

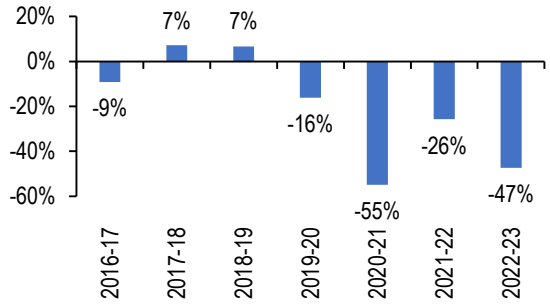

नोट: 2022-23 के लिए उपयोग किए गए संशोधित अनुमान। वास्तविक अन्य सभी वर्षों के लिए उपयोग किया जाता है।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2017-18 से 2023-24; पीआरएस।

सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़बंदी

राष्ट्रीय सुरक्षा को बहाल रखने के लिए सीमा का उचित प्रबंधन महत्वपूर्ण है।[13] भारत-बांग्लादेश सीमा भारत की सबसे लंबी सीमा है जिसकी लंबाई 4,097 किमी है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा नहीं हुआ है, सीमा का लगभग 24% हिस्सा खुला है।[14] इसके अलावा मिजोरम राज्य ने बांग्लादेश के साथ अपनी कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा का केवल आधा हिस्सा बाड़बंद किया है (तालिका 5 देखें)। मंत्रालय के अनुसार, सीमा की बाड़ मार्च 2024 तक पूरी हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि दुर्गम भूभाग, भूमि अधिग्रहण की समस्याओं, काम करने का समय कम होने, विरोध और बांग्लादेशी सीमा रक्षकों की आपत्तियों के कारण यह काम समय पर पूरा नहीं हुआ।

गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा कि 31 दिसंबर, 2022 तक 2021-22 के संशोधित अनुमानों का केवल 50% उपयोग किया गया था।[11]

तालिका 5: भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ (किमी में)

राज्य	कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा	जितने क्षेत्र में बाड़ लगी है	बची हुई सीमा	बाड़ रहित सीमा का %
असम	263	210	53	20%
प. बंगाल	2,217	1,638	579	26%
मेघालय	443	326	117	26%
मिजोरम	318	155	163	51%
त्रिपुरा	856	794	62	7%
कुल	**4,097**	**3,123**	**973**	**24%**

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 2437, राज्यसभा, गृह मंत्रालय, 11 मार्च, 2021; पीआरएस।

2023-24 में सीमा अवसंरचना और प्रबंधन के लिए 3,545 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह 2022-23 (3,739 करोड़ रुपए) के संशोधित अनुमानों से 5% कम है। इसमें भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर कंटीले तारों की बाड़, सड़कों के निर्माण और हाई-टेक निगरानी सहित विभिन्न मदों के लिए सीमा कार्यों, सीमा जांच चौकियों और चौकियों के रखरखाव के लिए आवंटन शामिल है।

तालिका 6: सीमा अवसंरचना और प्रबंधन से संबंधित व्यय (करोड़ रुपए में)

विभाग	2021-22 वास्तविक	2022-23 संशोधित	2023-24 बजटीय	परिवर्तन का % (बअ 2023-24/ संअ 2022-23)
रखरखाव और सीमा चेक पोस्ट	284	268	351	31%
पूंजीगत परिव्यय	2,378	3,471	3,194	-8%
कुल	**2,662**	**3,739**	**3,545**	-5%

नोट: बअ- बजट अनुमान, संअ - संशोधित अनुमान।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2023-24; पीआरएस।

2015-16 और 2023-24 के बीच, सीमा अवसंरचना और प्रबंधन पर खर्च 8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। सिर्फ 2021-22 में इसमें काफी कमी आई थी (रेखाचित्र 6)।

रेखाचित्र 6: सीमा अवसंरचना और प्रबंधन पर व्यय (2015-24) (करोड़ रुपए में)

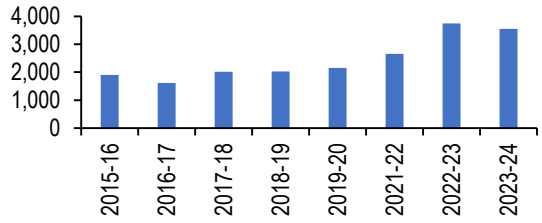

नोट: 2022-23 के लिए संशोधित अनुमानों और 2023-24 के लिए बजट अनुमानों का इस्तेमाल किया गया है। अन्य सभी वर्षों के आंकड़े वास्तविक हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2017-18 से 2023-24; पीआरएस।

दिल्ली पुलिस

2023-24 में दिल्ली पुलिस को 11,662 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह 2021-22 के संशोधित अनुमानों से 0.4% अधिक है।

रिक्तियां

15 जुलाई, 2022 तक दिल्ली पुलिस में कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के मुकाबले 15% रिक्तियां दर्ज की गईं।[15] दिल्ली पुलिस में 2015 से 2021 तक की रिक्तियां तालिका 7 में दी गई हैं।

तालिका 7: दिल्ली पुलिस में रिक्तियां (2015-22)

बल	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्तियों का %
2015	82,242	77,083	7%
2016	82,242	76,348	8%
2017	84,417	82,979	2%
2018	86,531	74,712	16%
2019	91,963	82,190	12%
2020	91,962	82,195	12%
2021*	94,353	80,074	18%
2022**	94,255	82,264	15%

नोट: *15 मार्च, 2021 तक ** 15 जुलाई, 2022 तक।
स्रोत: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो; तारांकित प्रश्न संख्या 302, राज्यसभा, 24 मार्च, 2021, अतारांकित प्रश्न संख्या 1476, लोकसभा, 26 जुलाई, 2022; पीआरएस।

2018 के बाद से दिल्ली पुलिस में रिक्ति दर स्वीकृत संख्या के 10% से अधिक रही है। दिल्ली पुलिस बल में रिक्तियां विभिन्न रैंकों में भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, फरवरी 2022 तक कॉन्स्टेबल पदों के लिए स्वीकृत पदों का 26% रिक्त है।[16] गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने कहा कि दिल्ली पुलिस में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था।[17] केंद्र सरकार ने 2015 में कॉन्स्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी थी।[18]

फरवरी 2022 तक, पुलिस बल के कुल कर्मियों में महिला कर्मियों का हिस्सा 13% (10,205 कर्मी) था।[19] किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों का वास्तविक संख्या के मुकाबले उच्चतम प्रतिशत चंडीगढ़ (22%) में है, इसके बाद तमिलनाडु (19.3%) का स्थान है।[20] इस बीच, केरल और आंध्र प्रदेश में क्रमशः 7% और 6% महिला पुलिसकर्मी हैं। जनवरी 2021 तक, दिल्ली में 251 व्यक्तियों में औसत एक पुलिस कर्मी है। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है जोकि 656 लोगों पर औसत एक पुलिस कर्मी है। दिल्ली पुलिस दुनिया के सबसे बड़े महानगरीय पुलिस बलों में से एक है।[21] दिल्ली की बढ़ती आबादी और पुलिसिंग की बढ़ती समस्या का हल निकालने के लिए श्रीवास्तव समिति ने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया था और उसके बाद ऐसा किया गया था।[2121]

लॉजिस्टिक्स का खराब प्रबंधन

पुलिसकर्मियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने में सहायता हेतु एक प्रभावी संचार और प्रौद्योगिकी प्रणाली अनिवार्य है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (2020) के अनुसार, अप्रैल 2018 और मार्च 2019 के बीच चालू सीसीटीवी कैमरों का प्रतिशत 55% -68% के बीच था।[22] इसी अवधि के दौरान एकीकृत कमान, नियंत्रण, समन्वय और संचार केंद्र में निगरानी रखने वाले सीसीटीवी कैमरों की संख्या 22% से 48% तक थी। नेटवर्क से संबंधित समस्याओं या दोषपूर्ण कैमरों के कारण शेष कैमरों से निगरानी फुटेज उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में पाया गया कि दिल्ली पुलिस 10 वर्षों से अधिक समय से 20 साल पुराने ट्रंकिंग सिस्टम (एपको) का इस्तेमाल कर रही थी।

15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि मंत्रालय रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण

कोष (एमएफडीआईएस) से पुलिसकर्मियों की बेहतर संचार प्रणालियों और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए आवंटित करे।[23] 2023-24 में दिल्ली पुलिस के लिए यातायात और नेटवर्क संचार के आधुनिकीकरण के लिए 1,019 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।[24] यह 2022-23 के संशोधित अनुमान (385 करोड़ रुपए) से 265% अधिक था।

रहन-सहन की स्थितियां

मूशहरी समिति (2005) ने सुझाव दिया था कि पुलिसकर्मियों के सभी गैर-राजपत्रित रैंकों के लिए 100% पारिवारिक आवास प्रदान किया जाना चाहिए।[25] अगस्त 2019 तक दिल्ली पुलिस के पास 80,000 से अधिक कर्मियों को आवंटित करने के लिए केवल 15,360 क्वार्टर उपलब्ध थे।[22] इन क्वार्टरों में से लगभग 10% बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण आवंटित नहीं किए जा रहे थे या उन्हें खतरनाक घोषित किया गया था। गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने पाया कि दिल्ली पुलिस के लिए संतोषजनक आवास की दर 20% थी।[11] इसके अलावा 2021-22 में दिल्ली पुलिस के आवासीय भवनों के लिए आवंटित संशोधित अनुमानों (150 करोड़ रुपए) में से केवल 52 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया था। 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि मंत्रालय एमएफडीआईएस से दिल्ली में पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं के पुनर्विकास/सुधार के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करे।[23]

2023-24 में दिल्ली पुलिस के लिए अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु 270 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 2022-23 के लिए बजटीय आवंटनों में संशोधित अनुमान (259 रुपए) की तुलना में 4% की वृद्धि है। 2018-19 के बाद से दिल्ली पुलिस के लिए पुलिस अवसंरचना पर वास्तविक व्यय बजट अनुमान से अधिक रहा है। एकमात्र अपवाद वित्तीय वर्ष 2020-21 था, जब बजट अनुमान वास्तविक व्यय से अधिक था। अनुलग्नक के रेखाचित्र 9 में दिल्ली पुलिस के लिए 2016-17 और 2022-23 के बीच ढांचागत परियोजनाओं पर धनराशि के उपयोग को प्रदर्शित किया गया है।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं।[26] हालांकि राज्यों पर वित्तीय बाधाओं के कारण मंत्रालय 1969-70 से राज्यों को संसाधन और प्रयासों की पूर्ति कर रहा है।[27] केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण से संबंधित चार मदों के लिए आवंटन किया है। ये हैं: (i) क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) योजना; (ii) वामपंथी अतिवादी (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों के लिए विशेष बुनियादी ढांचा योजना (एसआईएस); (iii) नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो; और (iv) फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण।

2023-24 में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 3,750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 54% अधिक है (तालिका 8)। राज्य पुलिस बल योजना के आधुनिकीकरण और सीसीटीएनएस योजना के लिए आवंटन में 40% की वृद्धि की गई है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 26,275 करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अंब्रैला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।[28] इसमें राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 4,846 करोड़ रुपए और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित उत्तर पूर्वी राज्यों और वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी खर्च हेतु 18,839 करोड़ रुपए शामिल हैं।**Error! Bookmark not defined.**

तालिका 8: पुलिस के आधुनिकीकरण पर व्यय (करोड़ में)

मुख्य मदें	2021-22 वास्तविक	परिवर्तन का % (संअ 22-23 से बअ 23-24)	2022-23 संअ	2023-24 बअ
एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के लिए एसआरई और एसआईएस	3,136	37%	2,025	2,781
राज्य पुलिस बलों और सीसीटीएनएस का आधुनिकीकरण	170	73%	153	264
नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो	-	-	5	5
फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण	-	200%	250	750
कुल	**3,306**	**56%**	**2,433**	**3,800**

नोट: बअ- बजट अनुमान, संअ - संशोधित अनुमान।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2023-24; पीआरएस।

2011-12 और 2023-24 के बीच पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर खर्च पिछले तीन वर्षों में कमी के बावजूद 15% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है (रेखाचित्र 7)। 2019-20 में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को 781 करोड़ रुपये जारी किए गए।[29] 2019-20 में जारी की गई धनराशि का लगभग 62% कम उपयोग किया गया था। जारी की गई कुल धनराशि में से कुछ राज्यों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन हेतु 120 करोड़ रुपये जारी किए गए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात कुछ ऐसे राज्य थे जिन्हें इस मद के तहत प्रोत्साहन दिया गया।[29]

रेखाचित्र 7: पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर व्यय (2013-23) (करोड़ रुपए में)

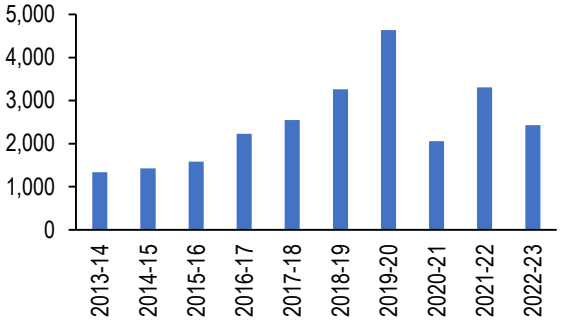

नोट: 2021-22 के लिए संशोधित अनुमानों और 2023-24 के लिए बजट अनुमानों का इस्तेमाल किया गया है। अन्य सभी वर्षों के आंकड़े वास्तविक हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2015-16 से 2023-24; पीआरएस।

फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण

फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को गुणवत्तापूर्ण फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं के विकास और आधुनिकीकरण में सहायता करना और प्रशिक्षित श्रमबल की उपलब्धता को सुगम बनाना है।[30] 2023-24 में फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 180% अधिक है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) की प्रमुख चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) समय पर जांच के लिए एफएसएल की क्षमता बढ़ाना, (ii) प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, (iii) प्रशिक्षित श्रमबल की उपलब्धता, और (iv) गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण सुनिश्चित करना।[30]

फोरेंसिक प्रयोगशाला के कार्यों में से एक जांच एजेंसियों और न्यायपालिका को फोरेंसिक अपराध के मामले में विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करना है। फोरेंसिक प्रयोगशालाएं मानव वध, यौन उत्पीड़न और डकैती जैसे अपराधों पर डीएनए आधारित फोरेंसिक जांच करती हैं।[31] शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेल संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के मामले में समय पर न्याय सुनिश्चित करने में विफल रही हैं।[32] कमिटी ने कहा कि फोरेंसिक क्षमताओं तक पहुंच अपराधियों के खिलाफ

एक मजबूत मामला बनाकर दोषसिद्धि दर को बढ़ाएगी।

वर्तमान में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निदेशालय की छह केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाएं (सीएफएल) हैं।[33] एक अतिरिक्त सीएफएल दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण में है। जुलाई 2022 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 32 राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, 81 क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और 529 मोबाइल फोरेंसिक विज्ञान वाहन हैं।[30]

फोरेंसिक प्रयोगशालाएं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से वितरित नहीं हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमशः चार और दो चालू क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्रमशः पांच और 10 हैं।[20]

गृह मामलों से संबंधित समिति (2022) ने सुझाव दिया था कि मंत्रालय को दो साल की समय सीमा के भीतर प्रत्येक राज्य की राजधानी में और 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में एक फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करनी चाहिए।[11]

साइबर अपराध प्रकोष्ठों की कमी

पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत, मंत्रालय प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन और साइबर अपराध जांच और फोरेंसिक प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना में सहयोग करता है। गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने देश में साइबर अपराधों की बढ़ती दर पर गौर किया।[11] 2021 में साइबर अपराध के 52,430 मामले दर्ज किए गए जिसमें 2020 की तुलना में 5.5% की वृद्धि थी।[34]

कमिटी ने कहा कि राजस्थान, गोवा और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में एक भी साइबर अपराध प्रकोष्ठ नहीं है। जनवरी 2021 तक देश में 466 साइबर अपराध प्रकोष्ठ और 202 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन थे।[6] केंद्र शासित प्रदेशों में केवल तीन साइबर अपराध पुलिस स्टेशन (जम्मू-कश्मीर में दो और पुद्दूचेरी में एक) थे। जम्मू-कश्मीर में एक भी साइबर अपराध प्रकोष्ठ नहीं है। इसके अलावा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की एक रिपोर्ट (2020) में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस साइबर अपराध इकाई में तैनात 142 कर्मियों में से केवल पांच के पास तकनीकी योग्यता थी और 35 कर्मियों के पास कंप्यूटर में सामान्य दक्षता थी।[22]

कमिटी ने सुझाव दिया था कि मंत्रालय हर जिले में साइबर अपराध सेल स्थापित करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय करे। इसके अलावा यह सुझाव दिया गया था कि साइबर अपराध सेल को सोशल मीडिया अपराध और डार्क वेब मॉनिटरिंग सेल जैसे विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों पर नजर रखने के लिए अलग प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए।

नशीले पदार्थों की तस्करी में वृद्धि

देश में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध मादक पदार्थों के सेवन में वृद्धि हुई है।[35,11] गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए एक पारगमन बिंदु के रूप में असुरक्षित है।[36] गोल्डन क्रीसेंट (अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान) और गोल्डन ट्रायंगल (थाईलैंड-लाओस-म्यांमार) दुनिया के प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक 2004 से 2019 के बीच ड्रग्स की खपत बढ़ी है।[37] ड्रग एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) ने अपनी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 में जब्त भांग, अफीम, हेरोइन और मॉर्फिन की मात्रा के लिए भारत को शीर्ष पांच देशों में स्थान दिया है।[38] गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा कि नशीली दवाओं के सेवन के लिए लोगों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ, ड्रग्स के सप्लाई चेन नेटवर्क को तोड़ना भी महत्वपूर्ण होगा। कमिटी ने सुझाव दिया कि विशेष रूप से सीमाओं के पार से मादक पदार्थों की तस्करी की बढ़ती समस्या का मुकाबला करने के लिए एनसीबी को राज्य एनसीबी और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करना चाहिए।[11]

जनवरी 2021 तक नशीले पदार्थों और नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए 66 विशेष पुलिस स्टेशन थे।[6] पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में नशीले पदार्थों और नशीली दवाओं के नियंत्रण के

लिए कोई विशेष पुलिस स्टेशन नहीं है। 2023-24 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो को पांच करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

आपदा प्रबंधन

गृह मंत्रालय सूखे के अलावा अन्य सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय है (जिसे कृषि मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है)।[39] आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण, शमन और प्राकृतिक आपदाओं तथा मानव निर्मित आपदाओं से संबंधित पहल शामिल है। विभिन्न मदों के लिए आवंटन तालिका 7 में दिखाया गया है।

वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें आपदा प्रबंधन संबंधी पहल की लागत साझा करती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझा करने का निम्नलिखित पैटर्न है: (i) उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और (ii) अन्य सभी राज्यों के लिए 75:25। 2021 में 15वें वित्त आयोग ने इस पैटर्न को बरकरार रखने का सुझाव दिया था।[23]

तालिका 9: आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मदों पर व्यय (करोड़ रुपये में)

विभाग	2021-22 वास्तविक	2022-23 संअ	2023-24 बअ	% परिवर्तन (बअ 2023-24/ संअ 2022-23)
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल	1,305	1,419	1,601	13%
राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना	170	166	110	-34%
आपदा प्रबंधन अवसंरचना	128	92	142	54%
अन्य योजनाएं	238	106	252	138%
कुल	**1,841**	**1,782**	**2,105**	18%

नोट: बअ- बजट अनुमान, संअ - संशोधित अनुमान।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2023-24; पीआरएस।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) आपदा प्रतिक्रिया और राहत के लिए जिम्मेदार एक विशेष बल है। 2023-24 के लिए एनडीआरएफ को 1,601 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 13% अधिक है।

जनवरी 2021 तक 34% की रिक्ति दर के साथ, एनडीआरएफ में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 18,555 है।[6] गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2018) ने कहा कि आपदा के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की तैनाती के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया थी, जिसके अनुसार राज्य बलों की मांग कर सकते हैं। हालांकि राज्य जरूरत का अपेक्षित मूल्यांकन करने में असमर्थ हो सकते हैं, जिससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बलों को जुटाने के लिए प्रतिस्पर्धी मांग हो सकती हैं।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना

गृह मंत्रालय ने चक्रवात के जोखिम से ग्रस्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संवेदनशीलता को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) को शुरू किया था। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पूर्व चेतावनी संबंधी प्रसार प्रणालियों में सुधार, और (ii) चक्रवात शेल्टर्स का निर्माण और रखरखाव।[40]

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफानों की फ्रीक्वेंसी में कमी और अरब सागर में वृद्धि की प्रवृत्ति है।[41] हालांकि बंगाल के खाड़ी क्षेत्र में तटीय संवेदनशीलता बनी हुई है जिससे लगभग 60 से 80% चक्रवातों के कारण जान-माल की क्षति होती है।[41]

2023-24 के लिए इस परियोजना को 110 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। यह 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 34% कम है। एनसीआरएमपी से धनराशि की गिरावट भारत में चक्रवात और तटीय संवेदनशीलता की समग्र वृद्धि को ध्यान में रखकर नहीं की गई है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष

आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 का सेक्शन 44 एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के निर्माण को अनिवार्य करता है।[42] केंद्र सरकार गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के मामले में लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है।[43] राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, हालांकि यह प्रशासनिक रूप से गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं पर लगाए गए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।[44] वर्ष 2023-24 के लिए कोष में 8,780 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।

तालिका 10: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)

विभाग	2021-22 वास्तविक	2022-23 संशोधित	2023-24 बजट	% परिवर्तन (बअ 2023-24/ संअ 2022-23)
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष	6,130	8,000	8,780	10%

नोट: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
बअ- बजट अनुमान, संअ - संशोधित अनुमान।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2023-24; पीआरएस।

15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि 2021-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एनडीआरएमएफ) के लिए आवंटन 68,463 रुपये किया जाए।[23] राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष को एनडीआरएमएफ के कुल आवंटन का 80% मिलेगा। इसके अलावा राज्यों को ग्रेडेड कॉस्ट-शेयरिंग पैटर्न पर केंद्रीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। राज्यों को निम्नलिखित योगदान देना चाहिए: (i) 250 करोड़ रुपये तक के अनुदान के लिए 10% सहायता, (ii) 250-500 करोड़ रुपये के अनुदान के लिए 20% सहायता, और (iii) 500 रुपये से अधिक के अनुदान के लिए 25% सहायता करोड़। 15वें वित्त आयोग ने भी यह सुझाव दिया था कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की मौजूदा व्यवस्था को दो चरणों वाले आकलन से बदला जाए। दो-चरणीय आकलन में निम्नलिखित का मूल्यांकन किया जाएगा: (i) प्रतिक्रिया और राहत आकलन के लिए मानवीय सहायता की प्रारंभिक जरूरत, और (ii) बहाली और पुनर्वास के लिए आपदा उपरांत जरूरतों का आकलन (पीडीएनए)।

राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राहत/राशि और राष्ट्रीय आपदा जोखिम कोष द्वारा जारी धनराशि के बीच एक बड़ा अंतर होता है।[45] 2018-19 और 2020-21 के बीच सभी वर्षों में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से स्वीकृत धनराशि राज्यों द्वारा मांगी गई राशि के आधे से भी कम थी। 2020-21 में स्वीकृत राशि मांगी गई राशि का 17% थी (रेखाचित्र 8 देखें)।

रेखाचित्र 8: 2018-19 और 2020-21 के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)

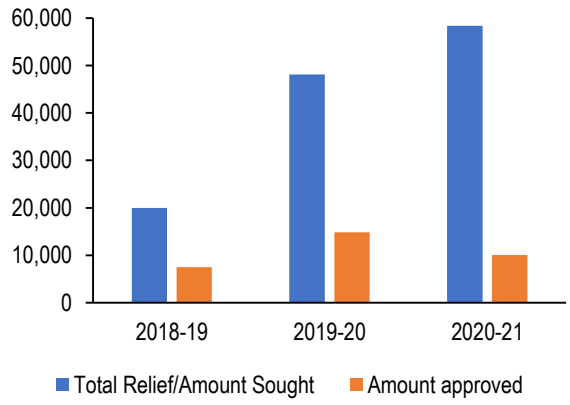

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 1986, राज्यसभा, गृह मंत्रालय, 15 दिसंबर, 2021; पीआरएस।

जलवायु परिवर्तन की बढ़ती मांग

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (2022) ने भारत को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर देशों में से एक के रूप में पहचाना है।[46] चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हुई है।[47] इसके अलावा भारत का लगभग 89% भूमिस्थल विभिन्न तीव्रताओं वाले भूंकप के प्रति संवेदनशील है।[48] भविष्य में जलवायु परिवर्तनों का असर और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भारत के लिए चुनौती बनी रहेंगी। 15वें वित्त आयोग ने कहा है कि

भारत ने उत्तराखंड और बिहार में बाढ़ से लेकर ओडिशा और बंगाल में चक्रवात तक विभिन्न जलवायु आपदाओं का बड़े पैमाने पर सामना किया है।[23] इसलिए राज्यों की बदलती मांगों को देखते हुए धनराशि आवंटन के सवाल पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

वित्त संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2019) ने कहा था कि प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई धनराशि और केंद्र सरकार द्वारा जारी धनराशि के बीच बड़ा अंतर है।[49] कमिटी ने 2020-25 की अवधि के लिए एसआरडीएफ की कुल राशि में 15% की वार्षिक वृद्धि का सुझाव दिया था। 15वें वित्त आयोग ने आवंटन में असमानता को दूर करने के लिए राज्यों को धन के आवंटन के लिए व्यय आधारित पद्धति की बजाय नई प्रणाली सुझाई। नई प्रणाली निम्नलिखित के मिश्रण का आकलन करती है: (i) क्षमता (व्यय), (ii) जोखिम की चपेट में आना (क्षेत्र और जनसंख्या), (iii) और जोखिम एवं संवेदनशीलता (जोखिम सूचकांक)। वर्ष 2023-24 में, पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों (तालिका 10) से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए बजटीय आवंटन में 10% की वृद्धि की गई है। हालांकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जारी धन का प्रतिशत देश के सामने तेजी से बदलती जलवायु संबंधी चुनौतियों का पर्याप्त रूप से सामना नहीं कर सकता है।

केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान

2023-24 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए अनुदान और ऋण के रूप में 61,118 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान (69,040 करोड़ रुपये) से 11% की गिरावट है। कुल आवंटन में, सबसे अधिक हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (58%) और लद्दाख (10%) के लिए है। इन दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन 2019 में जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य के पुनर्गठन के बाद किया गया था। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवंटन नीचे दिखाया गया है।

तालिका 11: केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित व्यय (करोड़ में)

केंद्र शासित प्रदेश	2021-22 वास्तविक	2022-23 संअ	2023-24 बअ	% परिवर्तन (संअ 22-23 से बअ 23-24)
लद्दाख	5,060	5,958	5,958	0%
जम्मू एवं कश्मीर	34,746	44,538	35,581	-20%
अंडमान एवं निकोबार	5,718	5,508	5,987	9%
चंडीगढ़	4,433	5,131	5,436	6%
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	2,375	2,475	2,475	0%
पुद्दूचेरी	1,880	3,130	3,118	0%
लक्षद्वीप	1,248	1,322	1,395	5%
दिल्ली	1,029	977	1,168	20%
कुल	**56,490**	**69,040**	**61,118**	**-11%**

नोट: बअ- बजट अनुमान, संअ - संशोधित अनुमान।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2023-24; पीआरएस।

जनगणना

2023-24 में भारत की जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी रजिस्ट्रार को 1,565 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान (553 करोड़ रुपये) से 180% अधिक है। फरवरी 2023 तक भारत की 16वीं जनगणना नहीं हुई है। दिसंबर 2022 में सरकार ने कहा कि जनगणना 2021 को स्थगित करने का कारण कोविड-19 महामारी का प्रकोप था।[50]

1881 की जनगणना के बाद से हर दशक में एक बार बिना किसी रुकावट के जनगणना की जाती रही है।[51] कई योजनाएं और लाभार्थियों की पात्रता का निर्धारण जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पात्र लाभार्थियों की संख्या निर्धारित करता है। ये आंकड़े 2011 से अपडेट नहीं किए गए हैं, और इससे लाभार्थियों को लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।[52]

इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 82 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करता है।[53] वर्तमान में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है और 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर इसे फिर से समायोजित किया जाएगा। यदि 2026 तक जनगणना प्रकाशित नहीं होती है, तो यह जनगणना पुनर्समायोजन का आधार होगी।

तालिका 12: जनगणना से संबंधित व्यय (करोड़ रुपये में)

	2021-22 वास्तविक		2022-23 संअ	% परिवर्तन (बअ 2022-23/ संअ 2021-22)
जनगणना	505	553	1,565	183%

नोट: बअ- बजट अनुमान, संअ - संशोधित अनुमान।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2023-24; पीआरएस।

अनुलग्नक

तालिका 13: पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर व्यय (करोड़ रुपये में)

विभाग	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सीआरपीएफ	12,747	14,327	16,804	18,560	21,974	25,133	24,410	27,307	29,325	31,772
बीएसएफ	11,687	12,996	14,909	16,019	18,652	20,254	19,322	21,491	22,718	24,771
सीआईएसएफ	4,955	5,662	6,563	7,614	9,115	10,421	11,218	11,373	12,202	13215
एसएसबी	3,148	3,418	4,045	4,641	5,420	6,382	6,017	6,940	7,654	8,329
आईटीबीपी	3,399	3,773	4,641	5,078	5,699	6,625	6,143	6,965	7,461	8,097
एआर	3,450	3,848	4,724	5,031	5,694	5,632	5,499	6,046	6,658	7,052
एनएसजी	527	569	697	968	1,007	1,114	930	1,151	1,293	1,287
विभागीय लेखा	74	78	92	95	110	111	112	122	132	142
कुल	**39,988**	**44,669**	**52,474**	**58,007**	**67,670**	**75,672**	**73,650**	**81,396**	**87,444**	**94,665**

नोट: 2021-22 के लिए संशोधित अनुमानों और 2023-24 के लिए बजट अनुमानों का इस्तेमाल किया गया है। अन्य सभी वर्षों के आंकड़े वास्तविक हैं।
सीआरपीएफ- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल; बीएसएफ- सीमा सुरक्षा बल; सीआईएसएफ- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल; एआर- असम राइफल्स; आईटीबीपी- भारत-तिब्बत पुलिस बल; एसएसबी- सशस्त्र सीमा बल; एनएसजी- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2015-16 से 2023-24; पीआरएस।

तालिका 14: सीएपीएफ में रिक्तियां (2013-21) (लाखों में)

वर्ष	कर्मियों की स्वीकृत संख्या	कर्मियों की वास्तविक संख्या	रिक्तियां (% में)
2013	9.1	8.3	9%
2014	9.3	8.7	6%
2015	9.5	8.9	7%
2016	9.7	9.0	7%
2017	10.8	9.2	15%
2018	9.9	9.3	6%
2019	10.1	9.2	9%
2020	10.2	9.1	10%
2021	10.2	9.0	11%

नोट: प्रत्येक वर्ष के आंकड़े उस वर्ष 1 जनवरी तक के हैं।
स्रोत: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो; पीआरएस।

रेखचित्र 9: दिल्ली पुलिस के बुनियादी ढांचे के लिए धनराशि का उपयोग

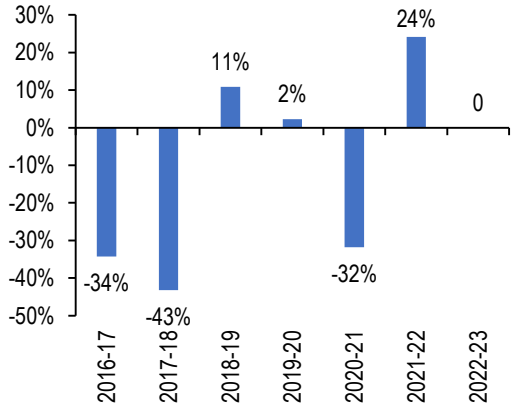

नोट: 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान का उपयोग किया गया है। स्रोत: केंद्रीय बजट 2017-18 से 2023-24; पीआरएस।

तालिका 15: 2021-22 में एनडीआरएफ से राज्यों को जारी धनराशि (9 दिसंबर, 2021 तक) (करोड़ रुपये में)

राज्य	एनडीआरएफ से जारी धनराशि	जारी धनराशि का %
गुजरात	1,000	28%
झारखंड	200	6%
कर्नाटक	629	18%
महाराष्ट्र	701	20%
ओडिशा	500	14%
तमिलनाडु	214	6%
पश्चिम बंगाल	300	8%
कुल	**3,544**	

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 2668, लोकसभा, 14 दिसंबर, 2021; पीआरएस।

[1] Article 355, The Constitution of India, https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI.pdf.

[2] "About the Ministry", Ministry of Home Affairs, as accessed on February 12, 2023, https://www.mha.gov.in/en/page/about-ministry.

[3] Report No. 231: 'Demands for Grants (2021-2022), Ministry of Home Affairs', Standing Committee on Home Affairs, , March 15, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/143/231_2021_3_11.pdf.

[4] "Central Armed Police Forces (CAPFs), Indian Police, Ministry of Home Affairs, as accessed on February 12, 2023, https://police.gov.in/poi-internal-pages/central-armed-police-forces-capfs.

[5] Unstarred Question No. 708, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, February 07, 2023, https://pqals.nic.in/annex/1711/AU708.pdf.

[6] Data on Police Organisation, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, 2021, https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO-21f%20%20.pdf.

[7] Report No. 214: 'Working Condition in Border Guarding Forces (Assam Rifles, Sashastra Seema Bal, Indo-Tibetan Border Police and Border Security Force)', Standing Committee on Home Affairs, Rajya Sabha, March 15, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/107/214_2019_11_11.pdf.

[8] Unstarred Question No. 708, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, February 07, 2023, https://pqals.nic.in/annex/1711/AU708.pdf.

[9] Unstarred Question No. 1698, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, August 02, 2022, https://pqars.nic.in/annex/257/AU1968.pdf.

[10] Unstarred Question No. 689, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, February 08, 2023, https://pqars.nic.in/annex/259/AU689.pdf.

[11] Report No. 238: 'Demands for Grants (2022-23), Ministry of Home Affairs' , Standing Committee on Home Affairs, Rajya Sabha, March 14, 2022, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/161/238_2022_3_17.pdf.

[12] Report No. 240, 'Action Taken by Government on the Recommendations/Observations Contained in the Two Hundred Thirty Eight Report on Demands for Grants (2022-23), Ministry of Home Affairs', Standing Committee on Home Affairs, Rajya Sabha, December 13, 2022, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/169/240_2023_1_12.pdf.

[13] Annual Report 2021-22, Ministry of Home Affairs, 2022, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AnnualReport202122_24112022%5B1%5D.pdf.

[14] Unstarred Question No. 2437, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, March 17, 2023, https://pqars.nic.in/annex/253/AU2437.pdf.

[15] Unstarred Question No. 1476, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, July 26, 2022, https://pqals.nic.in/annex/179/AU1476.pdf.

[16] Unstarred Question No. 858, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, February 09, 2022, https://pqars.nic.in/annex/256/AU858.pdf.

[17] Report No. 230: 'Atrocities and Crimes against Women and Children', Standing Committee on Home Affairs, Rajya Sabha, March 15, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/143/230_2021_3_12.pdf.

[18] Unstarred Question No. 3180, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, March 22, 2022, https://pqals.nic.in/annex/178/AU3180.pdf.

[19] Unstarred Question No. 3180, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, March 22, 2022, https://pqals.nic.in/annex/178/AU3180.pdf.

[20] Data on Police Organisation, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, 2021, https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO-21f%20%20.pdf.

[21] "History of Delhi Police", Delhi Police, Ministry of Home Affairs, as accessed on February 19, 2023, https://delhipolice.gov.in/history.

[22] Audit Report No.15 of 2020, 'Performance Audit of Manpower and Logistical Management in Delhi Police', 2020, https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2020/Report%20No.%2015%20of%202020_English_Police-05f809de4527eb8.68338874.pdf.

[23] Report for the year 2020-21, 15th Finance Commission of India, November 2019, https://fincomindia.nic.in/ShowContent.aspx?uid1=3&uid2=0&uid3=0&uid4=0.

[24] "Detailed Demand for Grants 2022-23 Volume I, Ministry of Home Affairs, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2023-02/DDGVol1_09022023.pdf.

[25] Report of the Review Committee on the Recommendations of National Police Commission and Other Commissions/Committees on Police Reforms, Ministry of Home Affairs, March 2005, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/Musaharicommittee_08042019.pdf.

[26] State List, List II, Seventh Schedule, The Constitution of India, https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/S7.pdf.

[27] Report No.237, 'Police Training, Modernisation, and Reforms', Standing Committee on Home Affairs, Rajya Sabha, February 10, 2022, https://loksabhadocs.nic.in/lsscommittee/Finance/16_Finance_71.pdf.

[28] "Government of India under leadership of Prime Minister, Shri Narendra Modi approves continuation of umbrella scheme of Modernisation of Police Forces (MPF)", Ministry of Home Affairs, Press Information Bureau, February 13, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1798015.

[29] Unstarred Question No. 4357, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, March 29, 2022, https://pqals.nic.in/annex/178/AU4357.pdf.

[30] Unstarred Question No. 124, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, July 26, 2022, https://pqals.nic.in/annex/179/AS124.pdf.

[31] Unstarred Question No. 4126, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, April 07, 2022, https://pqars.nic.in/annex/256/AU4126.pdf.

[32] Report No. 316: 'Issues Related to Safety of Women', Standing Committee on Education, Women, Children, Youth, and Sports, Rajya Sabha, March, 19 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/144/316_2021_4_15.pdf.

[33] Unstarred Question No. 2686, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, August 10, 2016, https://www.mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2016-pdfs/rs-100816/2686%20E.pdf.

[34] Volume II: Crimes in India 2021, National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, 2021, https://ncrb.gov.in/sites/default/files/CII-2021/CII_2021Volume%202.pdf.

[35] Unstarred Question No. 459, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, July 20, 2021, https://www.mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2021-pdfs/LS-20072021/459.pdf.

[36] Unstarred Question No. 3478, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, Lok Sabha, August 08, 2021, https://loksabha.nic.in/Members/QResult16.aspx?qref=56841.

[37] Unstarred Question No. 693, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, February 08, 2023, https://pqars.nic.in/annex/259/AU693.pdf.

[38] Booklet No. 3, UNODC World Drug Report, 2022, United Nations Office on Drugs and Crimes, 2022, https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_3.pdf.

[39] Report of the Fourteenth Finance Commission, 2014, https://fincomindia.nic.in/writereaddata/html_en_files/oldcommission_html/fincom14/others/14thFCReport.pdf.

[40] Aims and Objectives, National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP), last accessed on February 13, 2022, https://ncrmp.gov.in/aims-objectives/.

[41] Unstarred Question No. 2880, Lok Sabha, Ministry of Earth Sciences, March 12, 2021, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU2880.pdf.

[42] The Disaster Management Act, 2005, https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/DM_act2005.pdf.

[43] Unstarred Question No. 153, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, December 21, 2022, https://pqars.nic.in/annex/258/AS153.pdf.

[44] Report No. 71: 'Central Assistance for Disaster Management and Relief', Standing Committee on Finance, Lok Sabha, http://164.100.47.193/lsscommittee/Finance/16_Finance_71.pdf.

[45] Unstarred Question No. 1986, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, December 15, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU1986.pdf.

[46] Climate Change 2022: Impacts, Adaption, and Vulnerability, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022, https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf.

[47] Unstarred Question No. 2115, Rajya Sabha, Ministry of Earth Sciences, December 16, 2021, https://moes.gov.in/sites/default/files/RS_English_2115.pdf.

[48] Unstarred Question No. 28, Rajya Sabha, Ministry of Earth Sciences, February 02, 2023, https://moes.gov.in/sites/default/files/RS-in-English-28-02-02-2023.pdf.

[49] Report No.71, 'Central Assistance for Disaster Management and Relief', Standing Committee on Finance, Lok Sabha, February 13, 2019, https://loksabhadocs.nic.in/lsscommittee/Finance/16_Finance_71.pdf.

[50] Unstarred Question No. 913, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, Rajya Sabha, February 07, 2023, https://pqals.nic.in/annex/1711/AU913.pdf.

[51] History of Census in India, Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/40444/download/44078/DROP_IN_ARTICLE-05.pdf.

[52] Section 9, The National Food Security Act, 2013, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2013/E_29_2013_429.pdf.

[53] Article 82, The Constitution of India, https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI.pdf.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।